



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 447 राँची, गुरुवार, 15 सितम्बर, 2022 (ई०)

उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

18 अगस्त, 2017

विषय: झारखण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 में संशोधन के संबंध में ।

ज्ञापांक 2329-- झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 में संकल्प संख्या 374 दिनांक 07.02.2017 के द्वारा आंशिक संशोधन किया गया था। उक्त संशोधन के माध्यम से विनियमन में कतिपय रोजगारोन्मुख उद्योगों को भूमि मूल्य में 50 प्रतिशत छूट एवं ब्याज रहित किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई थी जिसके अच्छे परिणाम आए और काफी रोजगारोन्मुख उद्योगों द्वारा निवेश में दिलचस्पी लेते हुए निवेश का निर्णय लिया गया है, परंतु अन्य विभागों से संबंधित निवेशकों द्वारा भी इस तरह की छूट की अपेक्षा की जाने लगी। इस पर विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों के साथ दिनांक 31.03.2017 को बैठक हुई जिसमें निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

1. Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) को भी IT/ ITeS Sector की तरह भूमि मूल्य में छूट एवं ब्याज रहित किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाए।
2. स्टार्ट&अप कंपनियों IT/ ITeS तथा ESDM Sector की कंपनियों को निर्मित भवन के Lease Rent में 50% की छूट प्रथम दो वर्षों के लिए दी जाए ।
3. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, अस्पताल, नर्सिंग संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान, निजी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, स्पोर्ट्स संस्थान को प्राथमिकता Sector में रखते हुए रोजगारोन्मुख उद्योगों की तरह भूमि मूल्य में छूट एवं ब्याज रहित किस्तों में भुगतान की सुविधा देने की अनुशंसा की गई ।
4. मेगा उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को भूमि का मूल्य ब्याज रहित पाँच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भुगतान करने की छूट दी जाए ।

उपरोक्त निर्णय/ अनुशंसा को जियाडा बोर्ड की बैठक में अनुमोदन किया गया है, साथ ही उक्त बैठक की कार्यवाही में निम्न दो प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया:&

- A. झारखंड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, गेतलसुद में जिन शर्त पर विकसित भूमि/ निर्मित क्षेत्र को दूसरे उद्यमियों को सबलीज करने की शक्ति मंत्रिपरिषद के दिनांक 17.11.2011 की बैठक में मद सं0-20 में तथा उद्योग विभाग के पत्रांक 2877 दिनांक 12.12.2011 द्वारा प्रदत्त की गई है उसी तर्ज पर अन्य औद्योगिक पार्कों के डेवलपर को सबलीज करने की शक्ति दी जाय ।
- B. कंडिका-6 (ii) (b) में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है कि प्रबंध निदेशक, जियाडा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विशेष स्थिति में भूमि को सिंगल विण्डो क्लियरेंस कमिटी एक्ट-2015 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में ऑन लाईन प्रोसेस एवं अधिसूचना निर्गत किए बिना सीधे आवंटन किया जा सकेगा ।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 के संकल्प संख्या 1637 दिनांक 16.05.2016 में विभागीय संकल्प संख्या 374 दिनांक 07.02.2017 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

(I). Sub para 6(ii)(b) Will be substituted as follows:

6(ii)(b). The application for land allotment/shed can be done online only in the website of the Authority or Single Window System website. However land can be allotted directly on recommendation by High Power Committee under Chief Secretary constituted under Jharkhand Single Window Clearance Act, 2015, exempting from public notification and online procedure in specific cases on receipt of proposal from MD, JIADA.

(II). Sub para 6(d)(i) Will be substituted as follows:

6(d) (i). Jharkhand Industrial Area Development Authority shall encourage establishment of labour intensive industries like textiles, garment, footwear, minor forest produce processing sector, herbal processing sector, agri and food processing sector, IT/ITeS Sector and Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) Sector.

(III). After sub para 6(d)(iv), sub para 6(d)(v) to 6(d)(ix) will be inserted as below:

6(d)(v). Medical health education, Hospital, Nursing Institute, Higher Education Institute, Private University, Technical Institute, Sports Institute will be treated as priority sector and reserve price for such land will be 50% of the price fixed in the Industrial Area and such industries may pay land price in ten equal installment in spread of five years but they will have to pay 5% interest per annum on the remaining principal amount, which will be collected with the installment amount due for that period. If any industry fails to pay installment in time, the interest of 15% shall be levied on the installment amount from the due date.

6(d)(vi). To attract the start up companies, IT/ITeS and ESDM sector companies, these companies will be given 50% relaxation in lease rent of built up area for the period of first two years.

6(d)(vii). To promote employment generation and revenue generation through industrialisation all other industries except mega industries can get the benefit of installment facility. Unit may pay land price in ten equal installment in spread of five years but they will have to pay 5% interest per annum on the remaining principal amount which will be collected with the installment amount due for that period. If any industry fails to pay installment in time, the interest of 15% shall be levied on installment amount from the due date.

6(d)(viii). Developer of other industrial park will have the power to sublease their developed plot/constructed area on the same terms and condition as imposed by Cabinet on 17.11.2011 as item no. 20 and communicated by the Industry Department vide letter No. 2877 dated 12.12.2011 to Jharkhand Mega Food Park Pvt. Ltd. for sublease to other entrepreneurs.

6(d)(ix). Concession given in the Sub para 6(d)(v) and 6(d)(vii) will be applicable only for five years from the date of notification of this amendment.

5. संकल्प संख्या 374 दिनांक 07.02.2017 की अन्य कंडिकार्यें यथावत रहेंगी ।
6. संशोधित प्रावधान इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।
7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 18.08.2017 की बैठक के मद संख्या-18 में इसकी स्वीकृति दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(सुनील कुमार वर्णवाल)

सरकार के सचिव

उद्योग आन एवं भूतत्व विभाग

झारखण्ड राँची ।
